	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
21/08/2025	वकील प्रार्थी उप0। बहस वकील प्रार्थी प्रा0पत्र आदेश 09 नियम 09 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने व्यक्त किया कि प्रार्थी फाउलाल पुत्र हेमाराम निवासी सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली की ओर से उक्त उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया श्रीमति पेमीदेवी पत्नि फाउलाल जाति माली निवासी सोजत सिटी का स्वर्गवास दिनांक 31.08.2024 को हो गयी थीं। प्रार्थीया की मृत्यु पश्चात प्रकरण में पूर्व में नियुक्त अधिवक्ता को प्रार्थीया का मृत्यु प्रमाण–पत्र दिया गया था, लेकिन पूर्व अधिवक्ता ने प्रकरण में प्रार्थीया के पति प्रार्थी दिनांक 10.02.2025 को न्यायालय में पेशी पर जाने पर पता चला कि प्रार्थीया के उत्तराधिकारी बनाने बाबत् पूर्व अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय में पेश नहीं किया तथा प्रकरण में उपस्थिति दर्ज नहीं करवाकर प्रकरण को खारिज करवा दिया, जिस पर प्रार्थीया के पति प्रार्थी ने पूर्व अधिवक्ता से मूल पत्रावली प्राप्त कर नये अधिवक्ता नियुक्त किया गया जिनके द्वारा आज प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा है। स्व. प्रार्थीया के विधिक उत्तराधिकारी उक्त प्रकरण में पक्षकार प्रार्थी बनकर कंटेस्ट करेगें। जिसको न्यायहित में रेस्टोर किये जाने की ईशतदुआ की हैं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0पत्र एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर व मनन किया। वस्तुतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने के वर्णित कारण युक्तियुक्त तथा स्वीकार योग्य होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर न्याय हित में 500/– रूपयें कॉस्ट पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता हैं। प्रकरण नये नंबर से दर्ज कर राजस्व मूल वाद पुनः रेस्टोर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली आयंदा दिनांक 01.10.2025 को पेश हों। (signature) SDO Sojat	